समक्ष–न्यायालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 19/अपील/(सू. के अ.) 10–11 9876 15/12/10

विरेन्द्र गुप्ता
विरूद्ध
लोक सूचना अधिकारी एवं
प्रभारी अधिकारी,स्थापना शाखा
कलेक्टोरेट,उज्जैन

यह कि अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र का उत्तर निम्नानुसार प्रेषित है:–

1– यह कि अपीलार्थी ने श्रीराजाराम पिता नानूलाल वैश्य,सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड–2,कलेक्टर कार्यालय,उज्जैन की सेवा पुस्तिका का प्रथम पांच पृष्ठ एवं वरियता सूची सन् 2005–06 की जानकारी एवं जाति प्रमाण पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 11.10.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ।

2– यह कि श्रीराजाराम वैश्य,सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड–2,कलेक्टर कार्यालय,उज्जैनने दिनांक 01.11.2010 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मुझसे संबंधित उक्त जानकारी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा चाही जा रही है मुझे व मेरे परिवार के साथ अपीलार्थी कुछ भी घटना–घटित कर सकता है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हित से संबंधित नही होने के कारण नही दी जावे ।

3– यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1) (जें) के अनुसार "ऐसी सूचना के प्रकटीकरण का अनुरोध जिसका संबंध व्यक्तिगत सूचना से है या जिस सूचना के प्रकटीकरण से व्यक्तिगत एकान्तत:/गोपनीयता पर अनपेक्षित/अवैध आक्रमण होगा और प्रश्नाधीन ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के अनुरोध का संबंध किसी लोक/सार्वजनिक गतिविधि या लोक/सार्वजनिक हित से नही है तब सामान्यत: ऐसे अनुरोध को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1) (जे) के अधीन विमुक्त मे लिया जा सकेगा ओर ऐसी व्यक्तिगत एकान्तत:/गोपनीयता का प्रकटीकरण नही किया जाएगा । इससे स्पष्ट है कि कोई भी लोक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत सूचना देने के लिए बाध्य नही है । यदि उसका संबंध किसी लोक कार्यवाही या लोकहित से नही हो । इस प्रकरण मे श्रीविरेन्द्र गुप्ता,तृतीय पक्ष है ओर श्रीराजाराम वैश्य ने इस प्रकार की जानकारी देने के संबंध मे लिखित आपत्ति प्रस्तुत की है ।

अत: उक्त आधारो पर अपीलार्थी की अपील निरस्त करने योग्य है ।

प्रभारी अधिकारी,स्थापना शाखा
कलेक्टोरेट,उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक 9008 /स्थापना/10/ उज्जैन दिनांक 18/11/2010

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी
कलेक्टर कार्यालय
उज्जैन

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जानकारी बाबत ।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 794/सू.के अ./10/8256 दिनांक 19.10.2010 व 807 /सू.के अ./10/8858 दिनांक 11.11.2010

कृपया संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे ।

2– आवेदक द्वारा श्रीराजाराम नागूलाल वैश्य की नियुक्ति की तारीख,सेवा निवृत्ति की तारीख ओर किस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर,नौकरी प्राप्त की एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पांच पृष्ठ की जानकारी चाही गई है ।

श्रीराजाराम वैश्य द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारियो का प्रदाय नही किया जावे ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत ।

संयुक्त कलेक्टर
o/c वास्ते–कलेक्टर जिला उज्जैन

रजिस्टर्ड ए.डी.

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन

क्रं. – /सू.के.अ./10/9412 उज्जैन, दिनाक 29-11-10

प्रति,

श्री वीरेन्द्र,श्री प्रकाश गुप्ता
345,शरद नगर तरसाली रोड
बडोदरा– गुजरात

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी बाबत।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 5.10.2010।

---000---

आपके द्वारा चाही गई जानकारी के परिपेक्ष मे लोक सूचना अधिकार (स्थापना) कलेक्टोरेट उज्जैन के जानकारी प्राप्त की गई।

अतः प्रभारी अधिकारी कलेक्टोरेट उज्जैन के पत्र क्रं. 9008/स्थापना/10 दिनांक 18.11.2010 उल्लेखित किया गया है। कि श्री राजाराम वैश्य सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाने के कारण आपको उनकी व्यक्तिगत जानकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान नही की जा सकती है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

लोक सूचना अधिकारी
कलेक्टोरेट जिला उज्जैन

2 प्रा0
29/10/10

5219
01/11/10

प्रति
श्रीमान् कलेक्टर महो.
कार्या० कलेक्टर, जिला उज्जैन

विषय :- तृतीय पक्षकार से संबंधित जानकारी नहीं देने बाबत् /.

मान. महो.

मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मेरे से संबंधित जानकारी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा आपसे चाही जा रही है।

यह जानकारी मैं देना नहीं चाहता हूँ। जानकारी मेरी व्यक्तिगत है। सार्वजनिक स्तर से संबंधित नहीं है। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मुझे व मेरे परिवार के साथ कुछ भी घटना - घटित कर सकता है या करवा सकता है। मेरे व परिवार की जान माल को खतरा हो सकता है। उक्त अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा चाही गई जानकारी सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं होने से नहीं दी जावे।

यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है।

(राजाराम वैश्य)
से० नि० कर्मचारी,
कलेक्टोरेट, उज्जैन

न्यायालय कलेक्टर जिला उज्जैन, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक–19/अपील(सूअ)/2010.11

वीरेन्द्र पिता ओमप्रकाश गुप्ता,
निवासी 345,शरद नगर, तरसाली रोड बडोदरा
गुजरात–390009

अपीलार्थी
विरूद्ध

लोक सूचना अधिकारी, द्वारा–प्रभारी अधिकारी,
स्थापना शाखा, कलेक्टोरेट जिला उज्जैन

..प्रत्यर्थी

आदेश

(आज दिनांक– 14 फरवरी, 2010 को पारित)

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा–स्थापना शाखा कलेक्टोरेट जिला उज्जैन को नकल हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार बिन्दु पर नकल चाही गई थीः–

राजाराम पिता नागूलाल वैश्य सहायक ग्रेड–2 सेवा निवृत्त की सेवा पुस्तिका का प्रथम पांच पृष्ठ एवं वरियता सूची सन्2005–2006

उक्त बिन्दु पर निर्धारित अवधि में लोक सूचना अधिकारी द्वारा–प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, कलेक्टोरेट जिला उज्जैन से नकल प्राप्त नहीं होने से दुःखी होकर इस न्यायालय में प्रथम अपील आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है ।

3– अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील आवेदन–पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा कलेक्टोरेट जिला उज्जैन की ओर भेजकर बिन्दुवार उत्तर के साथ उपस्थिति की सूचना दी गई ।

4– इस न्यायालय के अपील प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी ने उपस्थित होकर अपील का जबाब प्रस्तुत किया । जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को भी न्यायालय में दी गई । प्रत्यर्थी अर्थात लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा कलेक्टोरेट जिला उज्जैन ने जवाब में उल्लेखित किया है कि– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की उपधारा–8(1) की कडिका– जे–** में स्पष्ट उल्लेखित है कि–''सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंध रखती है और उसके प्रकटीकरण से किसी लोक गतिविधि अथवा लोक हित का कोई संबंध नहीं है अथवा जो व्यक्तिगत गोपनीयता/एकान्तता पर अनपेक्षित/अवैध आक्रमण होगा और प्रश्नाधीन ऐसी सूचना के प्रकटीकरण के अनुरोध का संबंध किसी लोक/सार्वजनिक गतिविधि या लोक/सार्वजनिक हित से नहीं है तब सामान्यतः ऐसे अनुरोध को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे) के अधीन विमुक्त में लिया जा सकेगा और ऐसी व्यक्तिगत एकान्ततः/गोपनीयता का प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा । इससे स्पष्ट है कि कोई भी लोक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है । यदि उसका संबंध किसी लोक कार्यवाही या लोकहित से नहीं हो। इस संबंध में में श्री वीरेन्द्र गुप्ता तृतीय पक्ष है और श्री राजाराम वैश्य ने इस प्रकार की जानकारी देने के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की है ।

कलेक्टर
जिला-उज्जैन

प्रकरण क्रमांक–19 / अपील(सूअ) / 2010.11

5– अतएव स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को सूचना के अधिकार अधिनिमय–2005 के अंतर्गत उसका नोट लिया जा सकता है, इसकी प्रमाणित प्रति ली जा सकती है, परन्तु उक्त वर्णित धारा अनुसार प्रथम पक्ष की अनुमति भी ली जाना आवश्यक है । इस प्रकरण में आवेदक ने श्री राजाराम वैश्य, सहा0गेड–2 कलेक्टोरेट जिला उज्जैन (सेवा निवृत्त) के सेवा अभिलेख की छायाप्रतियां चाही गई है उन्होने दिनांक 29.1010 को लिखित में स्थापना शाखा को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से किसी को भी नहीं दी जावे, उससे मुझे खतरा हो सकता है अतः उपरोक्त वर्णित अधिनियम में उल्लेखित तथ्यों से सहमत होते हुवे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अपीलार्थी इस प्रकरण में तृतीय पक्ष है, इसलिये प्रत्यर्थी द्वारा लिखित में इन्कार कर देने से नियमांतर्गत उक्त अधिनियम के अंतर्गत सेवा अभिलेख की नकल दी जाना संभव नहीं है ।

6– अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन–पत्र निराकृत किया जाता है । आदेश की सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलांट को म0प्र0सूचना का अधिकारी (फीस तथा अपील) नियम 2005 के नियम 7(4) के अंतर्गत निःशुल्क प्रदाय करने के आदेश दिये जाते हैं ।

(डॉ0एम0गीता)
कलेक्टर,
जिला–उज्जैन

क्र. 118/शि.से./11
7-3-11

प्रतिलिपिः–

1– लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रभारी अधिकारी कलेक्टोरेट जिला उज्जैन

2– श्री वीरेन्द्र गुप्ता आ0 श्री प्रकाश गुप्ता निवासी 345 शरदनगर तरसालीरोड, बडोदरा गुजरात 390009 की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

(6)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग,

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462 011

क्रमांक/ **A-1367/SIC/38-06/Other State/2011**/2552 भोपाल, दिनांक 24/5/11

प्रति,

श्री वीरेन्द्र गुप्ता
345, शरद नगर, तरसाली रोड, तरसाली,
बडोदरा–गुजरात

विषय : श्री राजाराम वैश्य की सेवा पुस्तिका के संबंध में चाही गई जानकारी बाबत्।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपकी अपील आयोग में दिनांक 08/04/2011 को प्राप्त हुई है । इस अपील का पंजीयन क्रमांक/ **A-1367/SIC/38-06/Other State/2011** है। भविष्य में अपील के संबंध में पत्राचार करते समय पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें ।

20/5
वास्ते–सचिव
म०प्र०राज्य सूचना आयोग,
भोपाल

Designed & Developed By NIC, MPSC, Bhopal

नोटः– कृपया पत्राचार करते समय संपर्क हेतु आपके दूरभाष/मोबाईल क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

Rec. dt 30/5/11

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक 4156/स्था/11/ उज्जैन दिनांक 26/5/11

प्रति,

श्री वीरेन्द्र पिता श्री प्रकाश गुप्ता
निवासी 345 शरदनगर
तरसाली रोड़,बड़ोदरा
(गुजरात)

(8)

विषयः— श्री राजाराम पिता नागूलाल वैश्य के सेवा पुस्तिका की जानकारी ।

सन्दर्भः— आपका आवेदन पत्र दिनांक 01.03.2011 (जन सुनवाई मे प्रस्तुत) एवं सूचना का अधिकार मे प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.04.11, आवेदन पत्र दिनांक 10.05.11

विषयान्तर्गत आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्रो द्वारा श्री राजाराम वैश्य पिता नागूलाल वैश्य सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड–2 कलेक्टर कार्यालय,उज्जैन की सेवा पुस्तिका की प्रथम पृष्ठ नियुक्ति की तारीख इत्यादि जानकारी चाही गई । सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानो के तहत आपका आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय,उज्जैन प्रथम अपीलीय अधिकारी (कलेक्टर महोदय) उज्जैन द्वारा निराकृत किए जा चुके है । संदर्भित पत्रो से भी श्री वैश्य के सेवा पुस्तिका,जन सुनवाई मे प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कार्यवाही संबंधी जानकारियां चाही जा रही है । जिनका निराकरण कलेक्टर महोदय द्वारा अपील प्रकरण मे किया जा चुका है।

अतः आप उक्त संबंध मे बार–बार निरार्थक पत्राचार नही करे ।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला उज्जैन

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी अधिकारी,जन सुनवाई,कलेक्टर कार्यालय,उज्जैन की ओर पत्र क्र.07एम/जन सुनवाई/2011 दिनांक 01.03.2011 के संदर्भ मे सूचनार्थ ।

2– लोक सूचना अधिकारी,कलेक्टर कार्यालय,उज्जैन की ओर पत्र क्र.924/सू के अ./11/3240 दिनांक 25.04.2011 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Sd/

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला उज्जैन

kaithawas@Establishment

Rec. dt 30/5/11

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन (म.प्र.)

दूरभाष [illegible]4–2513100, फेक्स 0734–2510878

क्रमांक / स्थापना / 2011 / 8156 उज्जैन दिनांक 02 नवम्बर 2011

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,
कलेक्टारेट, उज्जैन

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी का प्रदाय – श्री वीरेन्द्र पिता प्रकाश गुप्ता !

संदर्भ – आपका पत्र कमांक / 1063 / क.उ. / सू.के.अ. / 11 / 7593 उज्जैन दिनांक 5.10.2011

उपरोक्त विषयक् संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । आवेदक द्वारा इस कार्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री [illegible] के सेवा अभिलेखों के संबंध में जानकारी चाही जा रही है । इस संबंध में आवेदक द्वारा पूर्व में भी आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये । संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा उक्त अभिलेखों को प्रदाय करने में पूर्व में आपत्ति प्रस्तुत की जाने से पूर्व में भी आवेदक को वांछित अभिलेख प्रदाय नहीं किये गये है । इस संबंध में आवेदक द्वारा अपील भी प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण सक्षम अपील अधिकारी द्वारा किया जा चुका है । अतः पूर्व में निराकृत आवेदन अनुसार वर्तमान में वांछित अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदान की जाना संभव नहीं है ।

डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर जिला उज्जैन

[illegible] जाता है कि
[illegible] प्रति है।
लोक [illegible]
कलेक्टोरेट जिला उज्जैन

169

DK

कार्यालय कलेक्टर जिला–उज्जैन

क्रमांक /वित्त–3/11 / 8300 उज्जैन दिनांक 14/11/2011

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,
कलेक्टर कार्यालय,
उज्जैन

विषयः–**सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जानकारी बाबत्।**

सदंर्भः–आपका पत्र क्रमांक–7593, दिनांक 05.10.2011

---000---

संदर्भित पत्र के अनुक्रम में श्री राजाराम वैश्य, सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड–2, द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी का प्रदाय नही किया जावें।

सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला उज्जैन

प्रमाणित किया जाता है कि
यह प्रमाणित [illegible] है।
लोक सूचना अधिकारी
कलेक्टोरेट जिला उज्जैन